

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल नं. 78/2017

दिनांक:-05.03.2021

उनवानी दावा :-

1. भगवान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नरपत सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0  
- वादीगण -

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. छोटू सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्योजी सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. शम्भू सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कालू सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. घीसू कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. भूरी पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. नन्द कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक

-प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा  
अधिवक्ता वादीगण

श्री आर.एन.तुनगारिया  
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

## वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 02.08.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रैजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रैजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रैजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रैजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन

10.2.21

खाता राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2071-74 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला भू. अभि. नि. क्षेत्र मालेड़ा के हाल खाता संख्या पुराना 351 व हाल खाता संख्या 363 में दर्ज कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान	
1	भगवान सिंह, नरपत सिंह पि० हरिसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार हिस्सा 1/2 नक्शा ट्रेस में पिले रंग से दर्शित	1109	0.23	चाही-1	7.59	
		1112	0.24	चाही-2	7.92	
		1113/1	0.05	चाही-3, 0.03 जाव- 0.02	0.99, 0.33	
		1114	0.17	चाही-1	5.61	
		1117/1	0.05	चाही-1	1.65	
		योग	किता-5	0.74	माल	24.09
2	नारायण सिंह, छोटू सिंह, शम्भू सिंह, श्योजी सिंह पुत्र झुंगरसिंह हि० 4/5 कालू सिंह जितेन्द्र सिंह पुत्र व घीसू कवर पत्नी व भूरी व नन्द कवर पुत्रिया सुमेर सिंह हि० 1/5 जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन छोटू सिंह, श्योजी सिंह, शम्भू सिंह का हिस्सा राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा थांवला नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	1113	0.18	चाही-1, 0.11 जाव- 0.07	3.63, 1.16	
		1116	0.26	चाही-1	8.58	
		1117	0.30	चाही-1	9.90	
		योग	किता-3	0.74	माल	23.27

0.25

उपरोक्तानुसार शामलाती हि0 1/2-1/2 रहेगा	1115	0.01	गै.मु. चाह	
योग	किता-1	0.01	माल	-

संलग्न :- तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार देवली उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्ति डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

अंतिम डिक्रीडिक्री मुकदमा इबतदाई

से 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :-

1. भगवान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नरपत सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

- वादीगण -

बनाम

1. नारायण सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. छोटू सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्योजी सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. शम्भू सिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कालू सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. घीसू कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. भूरी पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. नन्द कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक

-प्रतिवादीगण- वाद

विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 78 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रामनिवास तुनगारिया प्रतिवादी संख्या 1 व 7 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला भू अभि. नि. क्षेत्र मालेड़ा जमाबंदी सम्बत् 2071-74 के खाता संख्या 351 में दर्ज कुल किता 7 कुल रकबा 1.49 है0, दर्ज राजस्व रिकार्ड है, की आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार देवली की कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

01.25

ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1109	0.23	चाही-1	7.59
1112	0.24	चाही-2	7.92
1113/1	0.05	चाही-3, 0.03 जाव- 0.02	0.99, 0.33
1114	0.17	चाही-1	5.61
1117/1	0.05	चाही-1	1.65
योग	किता-5	माल	24.09
1113	0.18	चाही-1, 0.11 जाव- 0.07	3.63, 1.16
1116	0.26	चाही-1	8.58
1117	0.30	चाही-1	9.90
योग	किता-3	माल	23.27
1115	0.01	गै.मु. चाह	
योग	किता-1	माल	-

3/20

7

वट. दे

ट. देव

T

वट. देवली

वट. देवली

वट. देवली

वट. देवली

वट. देवली

वट. देवली

7

की

T

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

D. D. D.

.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना

आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 02 सन् 2021

को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त .....  
ओहदा .....

मुद्दई	रु.	पै.	मुद्दायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।